

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक-, 2016

विषय :- "Removal of uteruses of under aged girls and women" के पीड़ितों को अंतरिम राहत/मुआवजा भुगतान किये जाने हेतु कुल ₹1,00,000/- (एक लाख, 02 पीड़ित @ ₹50,000/-) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

3. राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में "Removal of uteruses of under aged girls and women" के पीड़ितों को अंतरिम राहत/मुआवजा भुगतान किये जाने हेतु कुल ₹1,00,000/- (एक लाख, 02 पीड़ित @ ₹50,000/-) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. उक्त राशि ₹1,00,000/- (एक लाख) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-2017 में मुख्य शीर्ष 2235-समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम माँग संख्या-22, उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड N2235602000011 विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।
5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निहित आदेश के अधीन निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी पटना की होगी।
6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पटना होंगे।
7. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी।
8. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा पीड़ितों की समुचित पहचान कर उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान रेखांकित (क्रास) चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(चन्द्रशेखर सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-/

पटना, दिनांक, 2016

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, प्रमण्डल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-/

पटना, दिनांक, 2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा "ए0", गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-/

पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव